[redacted]

11/8/25 आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते
आदेश हेतु पेश की गई। हमने पत्रावली
का अध्ययन किया गया। तथा पत्रावली
वादी की तरफ प्रमाण हेतु रखी।

उपखण्ड अधिका
खण्ड कोटपुतली

तथ्य बयान पर मनन किया गया।
अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार
किया जाता है। किन्तु निर्णय अन्य
से लिया जाना था कि० किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो। वाद शॉर्ट आफिस उचित
हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न० :– 172/2017
दायर दिनांक :– 05.12.2017
निर्णय दिनाक :– 11/8/25

उनवान

1. जगमाल पुत्र देवकरण उर्फ श्योकरण जाति अहीर निवासी हंमीदपुर तहसील बहरोड़।
   1/1. कृष्णा पुत्री जगमाल जाति अहीर,
   1/2. देशराज पुत्र जगमाल जाति अहीर,
   1/3. परसिदा पुत्री जगमाल जाति अहीर,
   1/4. सावत्री पुत्री जगमाल जाति अहीर,
2. रोहिताश्व पुत्र देवकरण उर्फ श्योकरण जाति अहीर निवासी हंमीदपुर तहसील बहरोड़।
3. औम प्रकाश पुत्र देवकरण उर्फ श्योकरण जाति अहीर निवासी हंमीदपुर तहसील बहरोड़।
4. रामावतार पुत्र राम दयाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़। –डीलीट
5. रामचन्द्र पुत्र घडसी राम जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
6. ईश्वर पुत्र घडसी राम जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
7. रमेश देवी पत्नी जयसिंह पुत्र वधू घडसी राम जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
8. राकेश पुत्र जयसिंह पोत्र घडसी राम जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
9. भागवती पुत्री जयसिंह पौत्री घडसीराम जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़.।
10. रामप्रताप पुत्र रामावतार जाति अहीर निवासी हमीन्दपुर तहसरील बहरोड़।
11. सन्तोष पुत्री रामावतार जाति अहीर निवासी हमीन्दपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़।
12. निर्मला पुत्री घडसी जाति अहीर निवासी हमीन्दपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़।
13. रामकला पुत्री घडसी जाति अहीर निवासी हमीन्दपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़। ....**वादी**

बनाम

1. जगदेव दत्तक पुत्र बिहारी लाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
2. बस्तीराम पुत्र रिछपाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
3. हनुमान पुत्र रिछपाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
4. प्रधुम्न पुत्र महावीर पौत्र रिछपाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
5. नीतू पत्नी महावीर पुत्र वधु रिछपाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
6. ज्योति पुत्री महावीर पौत्री रिछपाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
7. अर्चना पुत्री महावीर पौत्री रिछपाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
8. तहसीलदार सहाब बहरोड़ बहैसियत लैण्ड होल्डर। ....**असल प्रतिवादीगण**

<u>दावा इस्तकरारहक कि व हुक्म इम्तनाई दवामी</u>

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता वादीगण।

–: निर्णय :–

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण ग्राम हमीदपुर तहसील बहरोड के रहने वाले है। वादीगण का आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 25 ऐयर 32 रकबा 40 ऐयर जिस का गत नम्बर 18 रकबा 3 बीघा वाकै मौजा हमीदपुर में स्थित है। प्रतिवादीगण का खसरा नम्बर 26 रकबा 39 एयर, 27 रकबा 56एयर , 28 रकबा 29 एयर, खसरा नम्बर 29 रकबा 3 एयर ,30 रकबा 5 ऐयर गत नम्ब0 17 रकबा 4 बीधा 15 बिस्वा वाकै मौजा हमीदपुर में स्थित है। हाल सैटल मैन्ट विभाग ने बिना अधिकार खिलाफ कानून खिलाफ मौका वादीगण के खसरा नम्बर 31 रकबा का 25 एयर 32 रकबा 40 एयर का कुल रकबा 65 एयर दर्ज कर दिया जबकि कुल रकबा 75 एयर दर्ज होना चाहिऐ था। मौका पर रकबा पुरा है। लेकिन कामजात माल में 10 ऐयर रकबा कम दर्ज कर दिया जो काबिज दुरूस्ती है। प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 26 रकबा 39 एयर ,27 रकबा 56 एयर,28 रकबा 29 एयर,29 रकबा 3 एयर, 30 रकबा 5 एयर का कुल रकबा 119 एयर दर्ज होना चाहिए था लेकिन हाल सैटल मैन्ट विभाग ने 132 एयर दर्ज कर दिया। वादीगण उपरोक्त रकबा में 10 एयर जमीन कम रिकार्ड में अपने खसरा नम्बर 31 व 32 में दर्ज कराने के अधिकारी है। अतः वाद वादी का डिक्री इस्तकरारहक बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमायी जावे की वादीगण के खसरा नम्बर 31 रकबा 25 एयर ,32 रकबा 40 एयर, गत नम्बर 18 रकबा 3 बीघा वाकै मौजा मुंडिया खेडा कुल रकबा 75 ऐयर , वादीगण खसरा नम्बर 26 रकबा 39 एयर, 27 रकबा 56 एयर, 28 रकबा 29 एयर,29 रकबा 3 एयर,30 रकबा 5 एयर वाके मौजा मुण्डिया खेडा में से 10 एयर भूमि कम कर वादीगण अपने खाते में जुडवाने के अधिकारी है। दुरूस्त कराने के अधिकारी है व खातेदार काश्तकार है घोषित किया जावे। नीज इन्द्राजात हाल सैटल मैन्ट विभाग खिलाफ कानून, खिलाफ मौका काबिज दुरूस्ती है। वादीगण दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। दुरूस्त किया जावे। तथा प्रतिवादीगण की आराजी ख0न0 हाल 28 रकबा 29 एयर मे से 10 ऐयर रकबा कम किया जाकर 29 ऐयर के स्थान पर 19 ऐयर अंकित किया जावे तथा खसरा नम्बर 31 रकबा 25 ऐयर में 05 ऐयर व 32 रकबा 40 ऐयर में 5 ऐयर रकबा बढाया जावे जो कुल रकबा ख. न. 31 रकबा 30 ऐयर ,32 रकबा 45 ऐयर अंकित किया जावे तथा इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी बह हक वादीगण खिलासफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादर फरमायी जावे की प्रतिवादीगण हाल इन्द्राजात को आधार बनाकर वादीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में मजामत पैदा नही करे।ना ही दिगर लोगो के रहन बय मुन्तकिल ना करे। ना स्वयं करे। ना ही नोकरान ऐजन्टान वारिसान द्वारा करावे। खर्चा मुक्दमा दिलाया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 01 लगायत 07 बाद इत्तला अनुवस्थित रहे। उनके विरूद्व दिनांक 27.05.2023 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने पक्ष में ओमप्रकाश पुत्र देवकरण जाति अहीर वादी नम्बर 03 का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–3 का पेश किया है।

हमने वादीगण के वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया। विद्ववान अधिवकता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। वादीगण की साबिक आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 3 बीघा के हाल खसरा नम्बर 31 रकबा 25 एयर ,32 रकबा 40एयर बनाये गये है। जबकि मैट्रिक माप प्रणाली से 75 एयर हाना चाहिए था। जो 65 एयर दर्ज किया गया है। इस प्रकार से वादी का साबिक के मुकाबले 10 एयर रकबा कम दर्ज किया गया है। प्रतिवादीगण की साबिक आराजी खसरा नम्बर 17 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 26 रकबा 39 एयर, 27 रकबा 56 एयर, 28 रकबा 29 एयर, 29 रकबा 3 एयर, 30 रकबा 5 एयर बनाये है। जो मैट्रिक माप प्रणाली से 120 के मुकाबले 132 एयर के बनाये गये है। जो प्रतिवादीगण का 12 ऐयर रकबा अधिक दर्ज किया गया है। इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

से वादी प्रतिवादीगण के हाल रकबे से 10 एयर रकबा प्राप्त कर अपने आराजी का रकबा 65 एयर के बजाय 75 एयर दर्ज करने के अधिकारी पाये जाते है। प्रतिवादीगण का बाद इन्तला न्यायालय में उपस्थित नही होना उनकी बाद गत आराजी में कोई रूचि नही होना प्रकृट करता है। वादीगण का वाद पत्र पूर्णतया सिद्व होना पाया जाता है।

–: आदेश :–

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 39 एयर, 27 रकबा 56 एयर, 28 रकबा 29 एयर, 29 रकबा 3 एयर, 30 रकबा 5 एयर वाके मौजा मुण्डिया खेडा में से 10 एयर भूमि कम कर वादीगण के खसरा नम्बर 31 रकबा 25 एयर ,32 रकबा 40 एयर, वाकै मौजा मुण्डिया खेडा से कुल रकबा 75 ऐयर ,दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आराजी ख0न0 हाल 28 रकबा 29 एयर में से 10 ऐयर रकबा कम किया जाकर 29 ऐयर के स्थान पर 19 ऐयर अंकित किया जावे तथा खसरा नम्बर 31 रकबा 25 ऐयर में 05 ऐयर व 32 रकबा 40 ऐयर में 5 ऐयर रकबा बढाया जावे जो कुल रकबा ख. न. 31 रकबा 30 ऐयर ,32 रकबा 45 ऐयर अंकित किया जावे तथा इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी कदर हाल भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

आज दिनांक 11/8/25 को यह निर्णय में द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर मीना–II
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न० :– 172 / 2017
दायर दिनांक :– 05.12.2017
निर्णय दिनांक :– 11/8/25

उनवान

1. जगमाल पुत्र देवकरण उर्फ श्योकरण जाति अहीर निवासी हंमीदपुर तहसील बहरोड़।
   1/1. कृष्णा पुत्री जगमाल जाति अहीर,
   1/2. देशराज पुत्र जगमाल जाति अहीर,
   1/3. परसिदा पुत्री जगमाल जाति अहीर,
   1/4. सावत्री पुत्री जगमाल जाति अहीर,
2. रोहिताश्व पुत्र देवकरण उर्फ श्योकरण जाति अहीर निवासी हंमीदपुर तहसील बहरोड़।
3. औम प्रकाश पुत्र देवकरण उर्फ श्योकरण जाति अहीर निवासी हंमीदपुर तहसील बहरोड़।
4. रामावतार पुत्र राम दयाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़। –डीलीट
5. रामचन्द्र पुत्र घडसी राम जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
6. ईश्वर पुत्र घडसी राम जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
7. रमेश देवी पत्नी जयसिंह पुत्र वधू घडसी राम जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
8. राकेश पुत्र जयसिंह पोत्र घडसी राम जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
9. भागवती पुत्री जयसिंह पौत्री घडसीराम जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़.।
10. रामप्रताप पुत्र रामावतार जाति अहीर निवासी हमीन्दपुर तहसरील बहरोड़।
11. सन्तोष पुत्री रामावतार जाति अहीर निवासी हमीन्दपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़।
12. निर्मला पुत्री घडसी जाति अहीर निवासी हमीन्दपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़।
13. रामकला पुत्री घडसी जाति अहीर निवासी हमीन्दपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़। ....वादी

बनाम

1. जगदेव दत्तक पुत्र बिहारी लाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
2. बस्तीराम पुत्र रिछपाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
3. हनुमान पुत्र रिछपाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
4. प्रधुम्न पुत्र महावीर पौत्र रिछपाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
5. नीतू पत्नी महावीर पुत्र वधु रिछपाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
6. ज्योति पुत्री महावीर पौत्री रिछपाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
7. अर्चना पुत्री महावीर पौत्री रिछपाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
8. तहसीलदार सहाब बहरोड़ बहैसियत लैण्ड होल्डर। ....असल प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक कि व हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता वादीगण।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

–: पर्चा डिक्री :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 39 एयर, 27 रकबा 56 एयर, 28 रकबा 29 एयर, 29 रकबा 3 एयर, 30 रकबा 5 एयर वाके मौजा मुण्डिया खेडा में से 10 एयर भूमि कम कर वादीगण के खसरा नम्बर 31 रकबा 25 एयर ,32 रकबा 40 एयर, वाकै मौजा मुण्डिया खेडा से कुल रकबा 75 ऐयर ,दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आराजी ख0न0 हाल 28 रकबा 29 एयर में से 10 ऐयर रकबा कम किया जाकर 29 ऐयर के स्थान पर 19 ऐयर अंकित किया जावे तथा खसरा नम्बर 31 रकबा 25 ऐयर में 05 ऐयर व 32 रकबा 40 ऐयर में 5 ऐयर रकबा बढाया जावे जो कुल रकबा ख. न. 31 रकबा 30 ऐयर ,32 रकबा 45 ऐयर अंकित किया जावे तथा इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी कदर हाल भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 11/8/25 को यह पर्चा डिक्री में हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी की गई।

रामकिशोर मीना–II
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)